उत्तराखण्ड लाईवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

पशुधन भवन, प्रथम तल, मोथरोवाला रोड,
पो0–मोथरोवाला, देहरादून –248001
(GSTIN: 05AABFU8674M1ZK)
फोन नं0–0135–2532619

ई–प्रोक्योरमेन्ट नोटिस

यू0एल0डी0बी0 प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक–ऋषिकेश की मैस के संचालन हेतु निविदाओं का आमंत्रण
(दो निविदा प्रणाली)

निविदा प्रपत्र कमांक	:	692 / यू0एल0डी0बी0 / स्टोर / टी0सी0 मैस (1 / 249) / 2023–24 दिनांक 02.06.2023
निविदा प्रपत्र का क्रय मूल्य **(Non Refundable)**	:	1770.00 (जीएसटी सहित)
ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल **https://uktenders.gov.in** पर निविदा जारी होने की तिथि	:	**03.06.2023**
ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर निविदा प्रपत्र प्राप्त करने एवं निविदा जमा करने की विधि		निविदा प्रपत्र ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल http://uktenders.gov.in पर आन लाईन उपलब्ध होंगे। निविदादाता का वेबसाईट पर रजिस्टर होना अनिवार्य होगा, जिसकी सेवा निःशुल्क उपलब्ध है। निविदा को आनलाईन जमा करने के लिए निविदादाता के पास Digital Signature Certificate (DSC) होना आवश्यक है। DSC किसी भी सरकार द्वारा अधिकृत संस्था से प्राप्त की जा सकती है, जिसके विषय में जानकारी http://uktenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं यथा निविदा में सुधार, निविदा का निरस्तीकरण इत्यादि http://uktenders.gov.in से आन लाईन प्राप्त की जा सकती है। निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र क्रय मूल्य, धरोहर धनराशि एवं ₹100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र यू.एल.डी.बी. पशुधन भवन, प्रथम तल, मोथरोवाला, देहरादून में निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय से पूर्व रजिस्टर्ड पोस्ट / कुरियर / स्वयं जमा कराना अनिवार्य होगा। यू.एल.डी.बी. द्वारा ई– प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर प्राप्त निविदाओं में से उन्हीं निविदाओं को खोला जायेगा, जिनके निविदा प्रपत्र क्रय मूल्य, धरोहर धनराशि एवं ₹100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र यू.एल.डी.बी. कार्यालय को निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त होंगे। निविदा प्रपत्र में वांछित समस्त अभिलेखों को स्कैन करके ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर आन लाईन जमा करना अनिवार्य है। निविदा में कोट की गई दरें बिल आफ क्वान्टिटी (BOQ) में भर कर ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर आन लाईन जमा करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र क्रय मूल्य, धरोहर धनराशि एवं ₹100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी वांछित अभिलेख आफ लाईन स्वीकार नहीं होंगे।
ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	:	19 जून 2023 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	:	19 जून 2023 पूर्वाह्न 11.30 बजे
प्री बिड मीटिंग एवं निविदाओं को खोले जाने का स्थान		उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड पशुधन भवन, प्रथम तल, मोथरोवाला, देहरादून –248001

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

उत्तराखण्ड लाईवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

पशुधन भवन, प्रथम तल, मोथरोवाला रोड,
पो0–मोथरोवाला, देहरादून –248001
(GSTIN: 05AABFU8674M1ZK)
फोन नं0–0135–2532619

महोदय,

1. आपसे निम्नानुसार यू0एल0डी0बी0 **प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक–ऋषिकेश की मैस के संचालन** के लिए निविदा आमंत्रित की जाती हैं। प्रशिक्षणार्थियों की संख्यां प्रतिदिन लगभग 10–60 (औसत 30) तथा वर्ष में अधिकतम 600 प्रशिक्षणार्थी प्रति वर्ष की सीमा तक होने तक सम्भावित है, प्रशिक्षण लगातार अथवा टुकड़ों में आवश्यकतानुसार प्रायोजित किये जा सकते है, (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बढ़/घट सकती है) उक्त प्रशिक्षण उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक–ऋषिकेश में आयोजित किये जायेंगे तथा इससे सम्बन्ध नियम एवं शर्ते **अनुलग्नक–1** पर संलग्न है। प्रशिक्षण हेतु मैस/कैन्टीन में भोजन व्यवस्था की सारणी निम्नवत् है–

मेन्यू–1

क्रम संख्या	विवरण	विवरण
1	*प्रातः चाय*	1 कप/ 150 मिली0 ली0
	नास्ता : 02 भरे पराठे, 200 ग्राम, दही, 10 ग्राम अचार, 150 एमएल चाय (सोमवार, वृहस्पतिवार एवं रविवार) 04 पुरी, 200 ग्राम0 काबुली छोले, 10 ग्राम अचार, 150 एमएल चाय (मंगलवार एवं शुक्रवार) 06 पीस ब्रेड/पराठे, 15 ग्रा0 बटर, 02 अण्डे का आमलेट, 10 ग्राम अचार 150 एमएल चाय (बुधवार एवं शनिवार)	
	लंच 01 एक प्लेट भारबती चावल (मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार) जीरा चावल (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार) 02. तवा रोटी (प्रतिदिन) 03. पनीर (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार) सुखी सब्जी (प्रतिदिन) 04. फ्राईदाल, सलाद, पापड सभी दिन 05. दही/रायता (एक दिन छोड़कर) 06. गुलाब जामुन–01 (सोम, बुध एवं शुक्र)	भर पेट भोजन
	सांय की चाय	1 कप/ 150 मिली0 ली0 एवं अच्छे बिस्कुट
	रात का खाना 01 एक प्लेट भारबती चावल (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार) पुलाव (मंगल, बृहस्तपति एवं शनिवार) 02. तवा रोटी प्रत्येक दिन 03 पुरी (शनिवार) 04. खीर (रविवार) 05. पनीर (मंगलवार एवं रविवार) सब्जी (प्रतिदिन) 06. फ्राईडदाल, सलाद, पापड सभी दिन 05. दही/रायता (एक दिन छोड़कर)	भर पेट भोजन

मेन्यू–2

क्रम संख्या	विवरण	विवरण
I	*प्रातः चाय / कॉफी*	1 कप / 150 मिली0 ली0
	नास्ता : 02 भरे पराठे, 200 ग्राम, दही, 10 ग्राम अचार, मक्खन एवं जेम, 150 एमएल चाय / कॉफी / दूध, उबले अण्डे / आमलेट / बुर्जी (सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार एवं रविवार) 04 पुरी, 200 ग्राम0 काबुली छोले, 10 ग्राम अचार, एक कप चाय / एक कप कॉफी / दूध (250 एम0एल0 / एक गिलास) (मंगलवार एवं शुक्रवार) 06 पीस ब्रेड, 15 ग्रा0 मक्खन एवं जेम (प्रतिदिन)	
	11.00 बजे	1 कप / 150 मिली0 ली0 **चाय / कॉफी एवं बिस्कुट**
	लंच 01 बासमती एक प्लेट चावल / पुलाव / जीरा चावल (प्रतिदिन) 02. तवा रोटी 03. पनीर (मंगलवार, बृहस्तपतिवार एवं शनिवार) / नॉनबेज चिकन /मच्छी (बुधवार, एवं रविवार) अण्डा करी (भुक्रवार) सब्जी (प्रतिदिन) 04. फ्राईडदाल (राजमा, अरहर, मलका, उडद) सलाद, पापड प्रतिदिन 05. दही / रायता (प्रतिदिन) 06. मीठा–01 (प्रतिदिन)	भर पेट भोजन
	सांय की चाय / कॉफी	1 कप / 150 मिली0 ली0, अच्छे बिस्कुट एवं नास्ता
	रात का खाना 01 एक प्लेट बासमती चावल / पलाव / जीरा चावल (प्रतिदिन) 02. तवा रोटी 03. पनीर (सोमवार एव शुक्रवार) सुखी सब्जी (प्रतिदिन) 04. फ्राईडदाल, सलाद, पापड प्रतिदिन 05. दही / रायता (प्रतिदिन)	भर पेट भोजन

2. निविदाः
   (क) निविदा के पूर्ण प्रपत्र **https: //uktenders.gov.in** से प्राप्त / डाउनलोड किये जा सकते है।
   (ख) निविदा में अर्ह हेतु निविदादाता के पास मैस / कैन्टीन के संचालन से सम्बन्धित कम से कम 1 वर्ष का अनुबन्ध होना अनिवार्य है।
   (ग) निविदादाता द्वारा निविदा के समय निविदा प्रपत्र का मूल्य (बैकर्स चेक / डिमाण्ड ड्राफ्ट), धरोहर राशि ₹40000.00 (₹ चालीस हजार मात्र) जो कि राष्ट्रीयकृत / सहकारी बैंक का **यू0एल0डी0बी0** के नाम **देहरादून** में देय / बंधक डिमाण्ड ड्राफ्ट / पे आर्डर / एफ.डी.आर. प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त समस्त दस्तावेज ऑफ लाईन माध्यम से इस कार्यालय को डाक द्वारा या स्वयं उपलब्ध कराने होंगे तथा निविदा ऑन लाईन अपलोड करते समय इन समस्त अभिलेखों की स्कैनी काफी अपलोड करनी होगी। यदि निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि एफ.डी.आर. के रूप में उपलब्ध करायी जाती है तो वह उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड के पक्ष मे होंगी, जिसकी वैधता अवधि 30 दिन से

अधिक होनी आवश्यक है। बिना धरोहर राशि के ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल https://uktenders.gov.in पर प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जाएगा।

(घ) उक्त अनुबन्ध निविदा में समस्त मात्राओं जैसा कि उक्तानुसार तालिकाओं में वर्णित है हेतु पूर्णरूप करना होगा।

(ङ) निविदा की त्रुटियों में सुधार हेतु पूर्व में अंकित सूचना को काटते हुए नयी सूचना भरते समय तिथि एवं हस्ताक्षर करने अनिवार्य होंगे।

(च) निविदा में दी गयी दरें समस्त देय कर सम्मिलित होंगे।

(छ) निविदादाता द्वारा दी की गयी दरें सम्पूर्ण अनुबन्ध अवधि के लिए वैध होगी तथा अनुबन्ध अवधि के दौरान दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन, परिमार्जन अथवा संशोधन मान्य नहीं होगा।

(ज) बिल आफ क्वान्टिटी (BOQ) के **02 Sheet** में अंकित दर, केवल भारतीय रूपये में होनी चाहिए।

3. **ऑफ लाईन उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेख–**

(क) निविदा प्रपत्र क्रय मूल्य ₹1770.00 जीएसटी सहित होगा (जो किसी भी दशा में वापस नही होगा), जो कि उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड, पशुधन भवन, मोथरोवाला, देहरादून को निर्धारित समय/तिथि पर उपलब्ध कराये जाने होंगे।

(ख) निविदा धरोहर धनराशि जो कि उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड, पशुधन भवन, मोथरोवाला, देहरादून के पक्ष में देय हो तथा निर्धारित समय/तिथि पर उपलब्ध कराये जाने होंगे।

(ग) घोषणा प्रपत्र (Declaration) मूलरूप में ₹100.00 के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर यू.एल.डी.बी. कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व जमा कराना अनिवार्य होगा।

4. **ऑन लाईन उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेख–**

बिन्दु संख्या 03 पर अंकित समस्त अभिलेखों की स्कैण्ड कापी निविदा भरते समय ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल https://uktenders.gov.in पर अपलोड की जानी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त निविदा में चाहे गये निम्न अभिलेखों की स्कैण्ड कापी भी ऑनलाईन अपलोड किये जाने अनिवार्य होंगे–

- पैन, जीएसटी प्रमाण पत्र, अनुभव (Past Exprience) एवं निविदादाता की प्रोफाईल तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्कैन कर ऑनलाईन जमा करना होगा।

5. **वित्तीय निविदा को** https://uktenders.gov.in में उपलब्ध बिल आफ क्वान्टिटी (BOQ) पर दिये गये विवरणानुसार भर कर निविदादाता को ऑन लाईन उपलब्ध कराना होगा।

6. **बिल आफ क्वान्टिटी (BOQ) शीट 1 (BOQ1) एवं शीट 02(BOQ2) (मैन्यू 01 एवं 02) में दर्शित समस्त आईटम को पूर्णतः भरना अनिवार्य होगा तथा (BOQ) का मूल्यांकन शीट 1 एवं 02 (मैन्यू 01 एवं 02) पर दी गयी दरों के कुल योग से किया जायेगा। न्यूनतम कुल योग देने वाले निविदादाता को अनुबन्ध दिया जायेगा। यदि शीट 1 एवं 02 (मैन्यू 01 एवं 02) में दर्शित आईटम में से कोई भी आईटम की दर निविदादाता द्वारा नहीं भरी जाती है तो उस निविदादाता की निविदा को निरस्त माना जायेगा।**

7. निविदादाता द्वारा निविदा क्रय मूल्य, धरोहर धनराशि एवं घोषणा पत्र को पृथक सीलबन्द लिफाफे में निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड, पशुधन भवन, मोथरोवाला, देहरादून जमा कराना होगा। इस सीलबन्द लिफाफे पर निविदा का विवरण तथा अन्तिम तिथि व समय अंकित करना होगा।
8. एक निविदादाता द्वारा मांत्र एक ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगा।
9. निविदादाता द्वारा जीएसटी में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
10. निविदा की वैधता निविदा की अन्तिम तिथि से 60 दिनों तक होगी।
11. निविदा की जांचः उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा केवल उन्हीं निविदाओं की जांच/मूल्यांकन की जायेगी जो कि पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित होंगी तथा निविदा की नियम एवं शर्ते जो कि संलग्न–1 पर दी गयी है के अनुसार होगी।
12. **क्रयादेश** : न्यूनतम दर कोट करने वाले सम्बन्धित निविदादाता को यू0एल0डी0बी0 के साथ ₹100.00 के नांन जूडिशियल 'स्टाम्प पेपर' पर द्विपक्षीय अनुबन्ध एवं कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि के रूप में क्रयादेश की 6% धनराशि किसी भी राष्ट्रीय कृत/सहकारी बैंक का **यू0एल0डी0बी0** के नाम **देहरादून** में देय/बंधक डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/एफ.डी.आर. निविदा स्वीकृत होने की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। यदि कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि एफ.डी.आर. के रूप में जमा की जाती है तो उसकी वैधता अनुबन्ध की अवधि से 60 दिन अधिक होनी आवश्यक है। इससे सम्बन्धित आदेश की प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध एवं कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि जमा न करने पर स्वीकृत निविदा स्वतः

ही निरस्त समझी जायेगी और इस स्थिति में सम्बन्धित निविदादाता द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि यू0एल0डी0बी0 द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

13. यू0एल0डी0बी0 उसी निविदादाता को क्रयादेश प्रेषित करेगा, जिसकी निविदा समस्त शर्तो एवं नियमों को पूर्ण करती है एवं जिसके द्वारा न्यूनतम दर दी गयी हो।

14. **मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डी0बी0 को बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा एवं निविदादाताओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।**

15. द्वितीय पक्ष द्वारा मैस का संचालन सही प्रकार से न करने पर या अनुबन्ध की शर्तो को पूर्ण न करने एवं मैस के संचालन में असफल रहता है तो द्वितीय पक्ष द्वारा जमा करायी गई सम्पूर्ण कार्यपूर्ति प्रतिभूति राशि (Performance Security) को जब्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है।

16. कोई भी विवाद, वैचारिक वैमनस्य अथवा अन्य मतभेद, जो किसी समय दोनों पक्षों अथवा अधिकारों के आधार पर दावा करने वाले पक्षों के मध्य इस अनुबन्ध के सम्बन्ध में उठता है, तो वह विवाद, वैचारिक वैमनस्य अथवा मतभेद अपर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, यू0एल0डी0बी0 अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति को मध्यस्थता हेतु सन्दर्भित किया जायेगा। ऐसे मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

17. अनुबन्ध की व्याख्या भारतीय कानूनों के अधीन की जायेगी एवं वाद निस्तारण का कार्यक्षेत्र देहरादून न्यायालय होगा।

संलग्नक : 1. निविदा की शर्ते एवं नियम
2. घोषणा पत्र

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

संलग्नक – 1

निविदा की शर्तें एवं नियम

1. मूल रूप से एवं https://uktenders.gov.in पर निर्धारित तिथि और समय के भीतर प्राप्त निविदाओं का ही मूल्यांकन किया जाएगा।
2. सभी वांछित दस्तावेजों और अनुभव प्रमाण पत्र (1 से 2 वर्ष का अनुभव) के बिना जमा की गई निविदा को तकनीकी रूप से गैर उत्तरदायी (तकनीकी रूप से अक्षम) माना जायेगा।
3. अनुबन्ध की अवधि कार्यदेश देने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी तथा अनुबन्ध को दोनों पक्षों की आपसी सहमति से पूर्व नियमों, शर्तो एवं दरों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकेगा।
4. यू0एल0डी0बी0 (प्रथम पक्ष) बिना शुल्क के खाना पकाने और खाने की जगह प्रदान करेगा। सफलनिविदादाता (द्वितीय पक्ष) द्वारा इन स्थानों को साफ–सफाई से रखना होगा।
5. प्रथम पक्ष वापसी योग्य आधार पर सभी बर्तन, गैस बर्नर, गैस स्टोव, डाईनिंग टेबल और कुर्सिया आदि प्रदान करेगा। अन्य सभी बर्तनों की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को स्वयं करनी होगी। वाणिज्यिक गैस सिलेंण्डर (Commercial Gas Cylinder) की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी। प्रथम पक्ष द्वारा प्रदान की गई वस्तुएं द्वितीय पक्ष अच्छी स्थित रखना सुनिश्चित करेगा। द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायी गये सभी वस्तुओं का रखरखाव भी सुनिश्चित करेंगा।
6. द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराये गये बर्तनो की टूट–फूट होती है तो द्वितीय पक्ष को बर्तन बदलना होगा और अनुबन्ध की समाप्ति पर प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराने होगे।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा ताजा, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना होगा। प्रथम पक्ष किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्त कर सकता है जो कभी खाद्य पदार्थो, रसोई, भोजन स्थान की ताजगी, स्वच्छता, गुणवत्ता, साफ–सफाई आदि का निरीक्षण कर सकता है तथा भोजन का स्वाद ले सकता है। यदि वस्तुयें मानक के अनुसार नहीं पायी जाती है तो उसी दिन का सम्पूर्ण भुगतान द्वितीय पक्ष को नहीं किया जायेगा।
8. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करेगा।
9. द्वितीय पक्ष एक रजिसटर में उन लोगों की संख्या दर्ज करेगा, जिन्हें भोजन उपलब्ध कराया गया है और भुगतान उसी के अनुसार किया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष बिलों को भुगतान के लिए पाक्षिक रूप से या प्रशिक्षुओं के प्रत्येक बैच के पूरा होने के बाद, जो भी पहले हो, प्रथम पक्ष को प्रस्तुत करेगा।
11. द्वितीय पक्ष द्वारा रखे गये कर्मचारियों को साफ सथुरे कपड़े पहनने होगे और उचित पोशाक मे रहना पड़ेगा।
12. मांग के अनुसार पर्याप्त खाद्य सामग्री की आपूर्ति न होने की दशा में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के बिल से विनिर्दिष्ट दुगुनी दरों पर कटौती की जायेगी।
13. द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा रखे गये कर्मचारियों की लापरवाही के कारण यू0एल0डी0बी0 की सम्पत्ति को कोई नुकसान/क्षति होती है तो इसकी भरपाई द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।
14. अनुबन्ध की शर्ते एवं नियमों का अनुपालन न करने पर द्वितीय पक्ष द्वारा जमा करायी गयी कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि को यू0एल0डी0बी0 द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा जमा करायी गयी कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि पर यू0एल0डी0बी0 द्वारा कोई भी ब्याज नहीं दिया जायेगा।
16. यदि सफल निविदादाता अनुबन्ध की अवधि में किसी समय अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है अथवा वह अनुबन्ध की शर्तो का पालन नहीं करता है, तो सम्पूर्ण जमानत की धनराशि या उसका कोई अंश कटौती करके कार्य हित में बोर्ड द्वारा समायोजित किया जा सकता है और ऐसा किये जाने पर सूचना देने के सात दिन के अन्दर सफल निविदादाता को उपरोक्त के समतुल्य धनराशि को बोर्ड के खाते में जमा करना होगा।

17. यदि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को पूरी संतुष्टि के अनुसार मैस चलाने में विफल रहती है तो प्रथम पक्ष के पास स्थिति की मांग के अनुसार किसी अन्य ठेकेदार को नियुक्त करने और द्वितीय पक्ष के जोखिम और लागत पर इसे करवाने का अधिकार सुरक्षित है। प्रथम पक्ष बिना किसी पूर्व सूचना के द्वितीय पक्ष के बिलों से इस तरह के काम को करवाने के लिए होने वाले व्यय को वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित रहेगा।

18. मौसमी बदलाव और उपलब्धता के आधार पर, सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थो को प्रथम पक्ष की पूर्व अनुमति से बदला जा सकता है।

19. अनुबन्धकर्ता को अपने समस्त कर्मचारियों को निर्देशित करना होगा कि वे प्रशिक्षण केन्द्र परिसर में मदिरा, तम्बाकू, बीडी एवं सिगरेट इत्यादि का सेवन नहीं करेगें तथा कर्मचारियों का अनुशासन भी सुनिश्चित करना होगा।

20. द्वितीय पक्ष के एक व्यक्ति को मेस में रात्रि विश्राम करना होगा।

21. द्वितीय पक्ष को कमरे में बेड टी और पीने का पानी उपलब्ध कराना होगा।

22. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड का निर्णय सर्व मान्य होगा।

23. अनुबन्ध की व्याख्या भारतीय कानूनों के अधीन की जायेगी एवं वाद निस्तारण का कार्यक्षेत्र देहरादून न्यायालय होगा।

24. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डी0बी0, देहरादून के पास बिना कोई कारण बताये, निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने तथा निविदा प्रकिया को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

घोषणा पत्र

(₹100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर भरा जाय)

सेवा में,

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
उत्तराखण्ड लाईवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड,
पशुधन भवन, प्रथम तल, मोथरोवाला, देहरादून।

महोदय,

1 मैं ....यू0एल0डी0बी0, देहरादून द्वारा निविदा प्रपत्र कमांक 692/यू0एल0डी0बी0/स्टोर/टी0सी0 मैस (1/249)/2023–24 दिनांक 02 जून 2023 के निर्धारित संलग्नक –1 में दी गई निविदा की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों को स्वीकार करता हूँ। उपरोक्त किसी भी नियम के उल्लंघन होने पर यू0एल0डी0बी0 द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।

2 मैं .... पुत्र ....
निवासी ....
घोषणा करता हूँ, कि मैंने निविदा की सभी शर्तें पढ़ ली हैं, जो मुझे मंजूर हैं। मैं यू0एल0डी0बी0, देहरादून द्वारा आमंत्रित निविदा के अनुसार यू0एल0डी0बी0 प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक–ऋषिकेश स्थित मैस का संचालन करने के लिए सहमत हूँ।

निविदादाता का नाम:

निविदादाता का पूरा पता:

दिनांक :

पेन नं0 (PAN):
छायाप्रति संलग्न

GST No.:
छायाप्रति संलग्न

हस्ताक्षर निविदादाता